

प्राक्कथन

साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ-साथ दीपक भी होता है। इसी नाते साहित्यकार का उत्तरदायित्व न केवल युगीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थ वर्णन करना होता है अपितु इन विकृतियों की जड़े खोदकर कुछ ऐसे ठोस समाधानों व उपायों की तलाश करना भी होता है, जो एक सामान्य मानवी का पथ प्रदर्शक बनें। तभी हम साहित्य को समाज के लिए कल्याणकारी मान सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में माँ, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में स्त्री आसरा पाए हुए है। स्त्री का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व पुरुष प्रधान समाज में नहीं है। हजारों सालों से वह पुरुष के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी अपनी व्यक्तिगत कोई भी पहचान नहीं है। स्त्री को शिक्षा दी जाती है कि वह शादी से पहले पिता के आश्रय में शादी के बाद पति के आश्रय में तथा बूढ़ापे में अपने पुत्रों के आश्रय में रहेगी अर्थात् चाहे स्त्री की कैसी भी स्थिति हो या कोई भी उम्र हो हर परिस्थिति के अधीन ही रहना है। इसके साथ-साथ स्त्री के रहन-सहन, वेश-भूषा, शिक्षा-दीक्षा आदि पर पूर्ण रूप से पुरुष का नियंत्रण है। वर्तमान समय में पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को बदलना एक जटिल कार्य है। पुरुषवादी समाज में स्त्री को एक वस्तु के तौर पर देखा जाता है। स्त्री के इन दुर्गम रास्तों में पुरुष ने कभी उसे अपने से आगे नहीं बढ़ने दिया। इन राहों से कुछ स्त्रियां पढ़-लिख कर आगे बढ़ी और अनेक श्रेत्रों में

अपना कौशल दिखाया। कुछ स्त्रियां साहित्यकार भी बनी जिनमें से कुछ स्त्रियां ही निर्भीक रचनाकार बनकर सामने आई जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, पीड़ा, अन्याय, शोषण के साथ-साथ स्त्री अस्तित्व, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार को आत्मकथा साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त कर एक नई मिसाल कायम करते हुए स्त्री विमर्श, स्त्री प्रतिशोध के एक से बढ़ कर एक उदाहरण प्रस्तुत किए। वास्तव में यह सभी महिला आत्मकथाएं स्त्री शोषण, स्त्री अन्याय, स्त्री संघर्ष के विरुद्ध प्रतिशोध का ज्वलंत दस्तावेज हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय के आरम्भ में “आत्मकथा का अर्थ” बताया गया है। जो विभिन्न विद्वानों ने समय-समय दिया है, इसके पश्चात् आत्मकथा के स्वरूप को बताया है, इसमें बीसवीं शताब्दी के आरंभ से लेकर इक्कीसवीं शताब्दी तक की आत्मकथाओं के बदलते स्वरूप को भी स्थान दिया है। आगे आत्मकथा की अवधारणा को दर्शाया गया है। इसके पश्चात् हिन्दी साहित्य में महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं के उद्भव व विकास का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि पहले की आत्मकथाओं व वर्तमान की आत्मकथाओं में अंतर आया है तथा स्त्रियों का अपने अधिकारों के प्रति सजगता को भी दिखाया गया है। इस अध्याय के अंत में बहुचर्चित महिला आत्मकथाओं पर एक विहंगम दृष्टि से प्रकाश डाला गया है।

द्वितीय अध्याय में महिला लेखिकाओं की “आत्मकथाओं का परिचय देने के साथ-साथ उनका विश्लेषण” भी किया गया है। इस अध्याय में लेखिकाओं की आत्मकथाओं के अनुसार उन पर हुए सामाजिक अपमान, पारिवारिक असहयोग व पुरुष के सामने उसके दायम दर्जे की स्थिति को साधारणीकरण रूप दिया गया है। इस अध्याय में यह भी दिखाया गया है कि जो स्त्री साहित्यकार होकर भी शोषण से मुक्त नहीं हो सकती अपने अधिकारों को पा नहीं सकती तो एक सामान्य स्त्री की स्थिति समाज में कैसी होगी। इस अध्याय में महिला लेखिकाओं के व्यक्तिगत जीवन को भी दिखाया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध का तृतीय अध्याय “महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं का सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन” है। इस अध्याय के आरम्भ में समाज की परिभाषा एवं उसके स्वरूप को दिखाया गया है। इसके पश्चात् इस अध्याय में ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में महिला लेखिकाओं के संघर्षों को दिखाया गया है। जिनमें पाया कि गांव हो या शहर स्त्री के संघर्ष लगभग समान ही होते हैं। आगे पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था से स्त्री किस प्रकार टकराती है तथा वह अपना वजूद सुरक्षित रखती है। इस अध्याय में आगे संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा दी गई है, इसके साथ साथ संस्कृति और संस्कारों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति की विशेषताओं जिनमें मुख्य रूप से खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, वेश-भूषा और धार्मिक त्यौहारों के बारे में बताया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध का चतुर्थ अध्याय “महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं में निरूपित समस्याएं” है। इनमें सबसे पहले सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है जिसके अंतर्गत भ्रुण हत्या की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, पुरुषों का स्त्रियों पर अनैच्छिक अधिकार की समस्या, स्त्रियों को अधिकारों से वंचित रखाने की समस्या तथा अंत में स्त्री के दोगले दर्जे की समस्या को दिखाया गया है। इस अध्याय में आगे आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है जिसके अंतर्गत महिला बेरोजगारी की समस्या, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का निर्णय न लेने की समस्या, स्त्री की आय पर पुरुष के नियंत्रण की समस्या, स्त्री की प्रत्येक वस्तु पर पुरुष की वर्चस्व की समस्या तथा पारिवारिक सम्पत्ति में सामाजिक रूप से स्त्री के हिस्से की समस्या को मुख्य रूप से दिखाया गया है। इसके साथ साथ यह भी दिखाया गया है कि जीवन में अर्थ की क्या भूमिका होती है। इस अध्याय में आगे राजनीतिक समस्याओं पर विचार किया गया है। महिलाओं को राजनीतिक रूप से पुरुष ने किस प्रकार पीछे रखा है तथा स्त्री संबंधी कानूनों को किसी प्रकार पुरुष प्रधान समाज ने बनाया है इन सब बातों पर बड़ी ही गहराई से विचार की गया है। इस अध्याय में साम्प्रदायिक समस्याओं को उठाया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि दो सम्प्रदायों की आपसी लड़ाई में भी स्त्री को क्या क्या गंवाना पड़ता है। इस अध्याय में अंत में सांस्कृतिक समस्याओं को भी उठाया गया है। जिसमें मानवीय मूल्यों का विघटन, नैतिकता का पतन, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और भौतिकता का प्रभाव दिखाया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध का पंचम अध्याय “महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं की भाषा एवं शिल्प” है। जिसमें सबसे पहले भाषा का अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा को स्थान दिया गया है। इसके पश्चात् आत्मकथाओं में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख भाषा शैली के बारे में बताया गया है। इसके आगे शिल्प का अर्थ एवं स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किस प्रकार लेखिकाओं ने अपनी आत्मकथाओं में किया है, इस विषय में बताया गया है। इस अध्याय के अंत में बिम्ब योजना व प्रतीक योजना के बारे में बताया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में षष्ठ अध्याय उपसंहार दिया गया है इसमें सम्पूर्ण शोध प्रबंध को सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची को स्थान दिया गया है।